1/1672192/2024







भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 09.01.2024 को आयोजित तिमाही बैठक के कार्यवृत्त।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi held on 09.01.2024

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 09.01.2024 को पूर्वाहन 11.30 बजे केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्त श्री टी जी वेंकटेश की अध्यक्षता में मैक्रोसॉफ्ट टीम्स - ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi was convened on 09.01.2024 at 11.30 am under the Chairmanship of Shri T. G. Venkatesh, Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi through Microsoft Teams – Online. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम(सर्वश्री/श्रीमती) Name of the Officer(S/Shri/ Smt)	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	रानी सी आर Rani C.R.	अपर आयुक्त Addl. Commissioner	(का.व सत.) /(P&V)
2	शाजि जॉन	संयुक्त आयुक्त	लेखा परीक्षा,
	Shaji John	Joint Commissioner	Audit
3	सी.टी. बिंदु C.T. Bindu	उप आयुक्त Deputy Commissioner	(का.व सत.) /(P&V)
4	एन. एस. जयश्री	सहायक आयुक्त	तकनीकी
	N. S. Jayasree	Assistant Commissioner	Technical
5	शरत चंद्रन एम	सहायक आयुक्त	अपवंचनरोधी
	Sarath Chandran M.	Assistant Commissioner	Anti-Evasion

6	रन्जीत शांतकुमार	सहायक आयुक्त	न्यायनिर्णयन
	Ranjit Santakumar	Assistant Commissioner	Adjudication
7	माइकल टी एच	सहायक आयुक्त	विधिक
	Michael T.H.	Assistant Commissioner	Legal
8	अजिता पी	सहायक आयुक्त	लेखा परीक्षा
	Ajitha P.	Assistant Commissioner	Audit
9	आर षैज्	सहायक आयुक्त	राजभाषा,आरटीआई
	R. Shyju	Assistant Commissioner	Official Language, RTI
10	शांति वी	उप आयुक्त	काक्कनाड मंडल
	Shanti V.	Deputy Commissioner	Kakkanad Division
11	माया चंद्रन	उप आयुक्त	आलुवा मंडल
	Maya Chandran	Deputy Commissioner	Aluva Division
12	अनिल राज आर	उप आयुक्त	पेरुम्बावूर मंडल
12	Anil Raj R	Deputy Commissioner	Perumbavoor Division
13	रॉय वर्गीस	उप आयुक्त	इडुक्की मंडल
13	Roy Varghese	Deputy Commissioner	Idukki Division
14	लिजी एस आर	आयुक्त के निजी सचिव	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
'-	Liji S.R.	P.S. to Commissioner	TVM Commissionerate
15	रंजीत मैथ्यू	अधीक्षक /Supdt	चालक्कुडी मंडल
	Ranjith Mathew		Chalakkudy Division
16	जस्टिन जोसफ	अधीक्षक /Supdt	जन संपर्क अधिकारी,मु.
10	Justin Joseph	Signalar / Suput	P.R.O.,Hqrs
17	गगन कुमार सिदधु	अधीक्षक /Supdt	ईडीपी अनुभाग
	Gagan Kumar Sidhu		EDP Section
18	मिधुन ए.	निरीक्षक / Inspr.	ईडीपी अनुभाग
	Midhun A.		EDP Section
10	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुत	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	म्ख्यालय
19	Smt. Rosalind Jose Thomas Koruthu	Senior Translation Officer	Hqrs.
	110141114		

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की। The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

- I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.
- a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। Documents coming under section 3(3) of OL Act, 1963 should be issued only in bilingual form:

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाएं। पिछली तिमाही में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत 91 कागज़ात जारी किए गए और उन सभी कागजातों को हिन्दी में भी जारी किए गए।

The Committee was informed that section 3(3) of OL Act, 1963 is being followed. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. During the

1/1672192/2024

previous quarter 91 papers were issued under section 3(3) of OL Act, 1963 and all those papers were issued in Hindi too.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, राजभाषा अनुभाग Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn., Vigilance sections, PRO, OL Section

b. आयुक्तालय का राजभाषा निरीक्षण / Official Language Inspection of the Commissionerate.

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन की सम्भावनाओं की पहचान करने और अधिकारियों को कंठस्थ 2.0 का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए तिमाही के दौरान मुख्यालय के अनुभागों का राजभाषा निरीक्षण किया गया था और इसे वर्तमान तिमाही में भी जारी रखा जाएगा।

The Committee was informed that the Official Language Inspection of the sections of the Hqrs of the Commissionerate was done during the quarter in order to identify the possibilities of Official Language Implementation and to train the officers to use Kanthasth 2.0. and it will be continued in the current quarter too.

कार्रवाई:राजभाषा अन्भाग Action: OL Section

c. विभागीय ई -पत्रिका "ई -कैरली " का प्रकाशन /Publishing departmental e-magazine -e-Kairali:-

समिति को सूचित किया गया कि तिमाहे के दौरान आयुक्तालय की ई-पत्रिका "ई-कैरली" के लिए कुछ रचनाएं प्राप्त की गईं थी और और पत्रिका वर्तमान तिमाही में प्रकाशित की जाएगी |

The Committee was informed that some Articles were received for Commissionerate's emagazine –"e-Kairali" during the quarter and magazine will be published in the current quarter.

कार्रवाई:राजभाषा अनुभाग Action: OL Section

d. नव नियुक्त अधिकारियों के लिए पूर्णदिवसीय राजभाषा कार्यशाला/ Full day OL Workshop for the new recruits.

सिमिति को सूचित किया गया कि तिमाही के दौरान नव नियुक्त अधिकारियों को संघ की राजभाषा कार्यान्वयन नीति पर अध्ययन सामग्री ऑनलाइन माध्यम से दी गईं और वर्तमान तिमाही में उनकेलिए एक पूर्णदिवसीय ऑनलाइन राजभाषा कार्यशाला आयोजित की जाएगी |

The Committee was informed that newly recruited officers of the Commissionerate were given study materials on OL Implementation policy of the Union on line during the quarter and a full-day online OL Workshop will be conducted for them in the current quarter.

कार्रवाई:राजभाषा अन्भाग Action: OL Section

II तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the quarterly report :-

समिति को आयुक्तालय की हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता एवं तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई । वे इस प्रकार है:-

पिछली तिमाही (2023 जुलाई,अगस्त,सितम्बर) में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 33.9% वर्तमान तिमाही (2023 अक्टूबर,नवम्बर,दिसम्बर) में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 34.4%

यथाक्रम दिनांक 30.09.2023, 31.12.2023 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क -50%-51,7%, ख-शून्य पत्राचार. ग - 47.2%-49.6% ।

The Committee was informed percentage of Hindi noting and percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows:-

Percentage of Hindi noting in previous quarter(July, August, September) - 33.9% Percentage of Hindi noting in current quarter(October, November, December) - 34.4%

A-50%-51.7%, B-Nil Correspondence, C-47.2%-49.6% for the quarters ending on 30.09.2023, 31.12.2023 respectively.

सभी अनुभागों एवं 7 मंडल कार्यालयों के हिंदी पत्राचार और टिप्पणियों के प्रतिशत पर विस्तृत चर्चा भी की गई और विरष्ठ अनुवाद अधिकारी ने समिति को सूचित की कि ई-ऑफिस में हिंदी में मसौदा तैयार करते समय भाषा विकल्प के लिए "हिंदी" भाषा के रूप में दी जानी चाहिए ताकि इसे ई-ऑफिस में हिंदी पत्रों की रिपोर्ट में गिना जा सके।

A detailed discussion was also held on the percentage of Hindi correspondence and notings of all sections and 7 divisional offices and instructions regarding formatting of bilingual letters were given to all section and divisional heads and the Senior Translation Officer informed the committee that Hindi should be given as language for the language option while drafting in Hindi in e-office so that it can be counted in the report of Hindi letters in e-office.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

III विविध/Miscellaneous :-

अगली तिमाही के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम/ Proposed programme for the next Quarter:-

1. राजभाषा निरीक्षण / Official Language Inspection

समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान तिमाही में भी निरीक्षण के लिए शेष अनुभागों और प्रभागों में राजभाषा निरीक्षण किया जाएगा। / The Committee was informed Official Language Inspection will be conducted in the remaining sections and divisions in the current quarter also.

कार्रवाई:राजभाषा हिंदी अनुभाग / मंडल Action: OL Hindi Section

2. विभागीत ई -पत्रिका "ई- कैरली" का प्रकाशन / Publishing departmental e-magazine "e-Kairali"-

समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान तिमाही में विभागीत ई -पत्रिका "ई- कैरली" प्रकाशित की जाएगी |

The Committee was informed that departmental e- magazine "e-Kairali" magazine will be published in the current quarter.

कार्रवाई:राजभाषा हिंदी अनुभाग / मंडल Action: OL Hindi Section

3. पूर्णदिवसीय राजभाषा कार्यशाला / Full Day Official Language Workshop.

समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान तिमाही में एक पूर्ण-दिवसीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

The Committee was informed that a full –day OL Workshop will be conducted in the current quarter.

कार्रवाई:राजभाषा हिंदी अनुभाग / मंडल Action: OL Hindi Section Page 4 of 5

IV अधिकारियों / सदस्यों का सुझाव / Suggestions from Officers/ Members

- 1. अध्यक्ष महोदय ने हिंदी पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें खरीदने का सुझाव दिया | वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने पाठकों से प्राप्त सूची के अनुसार पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें वर्तमान तिमाही में खरीदी जाएँगी | The Chairman suggested purchase of Hindi magazines and books. Senior Translation Officer informed that Hindi magazines and books will be procured in the current quarter as per the list received from the readers.
- 2. संयुक्त आयुक्त (लेखा परीक्षा) ने पूछा कि ई ऑफिस में भाषा का विकल्प किस प्रकार दिया जा सकता है तथा वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने समिति को उसकी विस्तृत जानकारी दी | Joint Commissioner (Audit) asked about the language option which can be given in the e-office and the Senior Translation Officer gave a detailed briefing to the committee.
- 3. सहायक आयुक्त (राजभाषा) ने बताया कि पत्रिका प्रकाशन के लिए निधि किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है | वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने समिति को सूचना दी कि व्यय निदेशालय के आदेशानुसार पत्रिका "ई पत्रिका" के रूप में ही प्रकाशित की जा सकती है | Assistant Commissioner (Official Language) about the funds for the publication of dept.al magazine. The Senior Translation Officer informed the committee that as per the orders of the Directorate of Expenditure, the magazine can only be published as e-magazine.

सदस्यों से कोई सुझाव न मिलने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराहन 12.00 बजे समाप्त हुई |

As no suggestion came from the members the meeting ended at 12.00 pm with vote of thanks to the Chair.

(रानी सी आर /RANI C.R.) अपर आयुक्त(का व सत))/ADDITIONAL COMMISSIONER(P&V)